पीएफआरडीए ने नियमों को दी मंजूरी

प्रतिस्पर्धा और ग्राहक सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी

नई पेंशन योजना का विस्तार, वाणिज्यिक बैंकों को हरी झंडी

> उभरती वास्तविकताओं, खुदरा और गिग-इकोनॉमी क्षेत्रों में बीमा सुरक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य के साथ पीएफआरडीए ने पहली अप्रैल 2026 से पेंशन फंड के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क संरचना को संशोधित किया है. संशोधित स्लैब-आधारित आईएमएफ में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए अलग-अलग दरें होंगी है. एमएसएफ कोष को अलग-अलग गिना जाएगा. कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों या स्वत- चयन और सक्रिय चयन और 100 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का वविकल्प चुनने वालों के लिए आईएमएफ समान रहेगा.

नई दिल्ली, 02 जनवरी. पेंशन विनियामक ने अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों को भी नयी पेंशन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से पेंशन कोष चलाने की छूट देने की तैयारी के साथ साथ एनएपीए के प्रोत्साहन के लिए प्रबंधनाधीन निधि का कुछ पैसा योजना के प्रचार प्रसार के लिए बिचौलिया इकाइयों की मदद को मंजूरी दी है.

वित्त मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को पेंशन कोष शुरू करने की छूट के नियमों को मंजूरी दे दी है. इसका उद्येश्य प्रतिस्पर्धा और ग्राहक सुरक्षा मजबूत करना है. प्रस्तावित नये नियमों के तहत से पीएफआरडीए के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत समन्वित जागरूकता, पहुंच और वित्तीय-साक्षरता पहल का समर्थन करने के लिए एयूएम का 0.0025 प्रतिशत एनपीएस इंटरमीडियरीज -(बिचौलिया फर्मों) के संघ (एएनआई) को दिया जाएगा. पीएफआरडीए के नियामकीय सुधारों में वर्तमान बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है. अभी एनपीएस में बैंकों की भागीदारी सीमित थी. भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुरूप मजबूत बैंकों को ही पेंशन फंड प्रायोजित करने की अनुमति होगी. वित्त मंत्रालय का कहना है कि विस्तृत मानदंड अलग से अधिसूचित किए जाएंगे और नये तथा वर्तमान दोनों पेंशन फंडों पर लागू होंगे. इसके साथ ही एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड में तीन नये न्यासियों की नियुक्ति की गयी है. इनमें भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, यूटीआई एएमसी - ट्रस्टी की पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष स्वाति अनिल कुलकर्णी, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के सह-संस्थापक और प्रमुख और सिडबी द्वारा प्रबंधित फंड ऑफ फंड्स स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यम पूंजी निवेश समिति के सदस्य डॉ. अरविंद गुप्ता शामिल हैं.

2000 रुपए के 98.41 प्रतिशत नोट रिजर्व बैंक के पास वापस आए

मुंबई, 02 जनवरी. प्रचलन से बाहर किये गये 2000 रुपये के 98.41 प्रतिशत नोट अब तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास वापस आ गये हैं. केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को एक यह जानकारी दी. उसने बताया कि 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा 19 मई 2023 को की गयी थी. उस समय 3.56 लाख करोड़ मूल्य के ये नोट प्रचलन में थे. गत 31 दिसंबर 2025 को यह आंकड़ा घटकर 5,669 करोड़ रुपये रह गया है. इस प्रकार, 98.41 प्रतिशत नोट आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं. 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा के बाद सात अक्टूबर 2023 तक इन नोटों को बैंक शाखाओं में जमा कराने या बदलवाने की सुविधा दी गयी.

निर्यातकों के लिए सरकार की बड़ी मदद

पहले महीने 3,100 करोड़ मंजूर, 8,599 करोड़ आवेदन आए

पहले ही महीने सैकड़ों एमएसएमई इकाइयों को राहत

नई दिल्ली, 02 जनवरी. केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लागू करने के बाद पहले महीने में 8,500 करोड़ रुपये से अधिक के आवेदन और 3,100 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृतियां प्रदान की हैं.

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम क्षेत्र के निर्यातकों को नकदी, बाजार विविधीकरण और रोजगार संवर्धन में मदद देने के लिए यह योजना पहली दिसंबर 2025 से लागू की गयी है. इस योजना के तहत सरकार उन्हें अतिरिक्त ऋण सुविधा पर 100 प्रतिशत गारंटी की सुविधा प्रदान कर रही है. वित्तीय सेवा विभाग द्वारा क्रियान्वित सीजीएसई के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान इस समय अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के दौरान भारतीय निर्यातकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है. यह योजना पात्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्यातक एमएसएमई इकाइयों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त, बिना जमानत कर्ज सहायता प्रदान करने के लिए है. वित्त मंत्रालय के अनुसार पहले महीने 31 दिसंबर तक कुल राशि 8,599 करोड़ रुपये की राशि के कर्ज के लिए 1,788 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 716 आवेदनों को 3,141 करोड़ रुपये की राशि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है.

योजना के तहत निर्यातकों को उनके मौजूदा निर्यात ऋण/कार्यशील पूंजी सीमा के 20 प्रतिशत तक के बराबर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. योजना 31 मार्च तक या 20,000 करोड़ रुपये तक की गारंटी जारी होने तक (जो भी पहले हो) खुली रहेगी.

नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं

16 कोच और 823 यात्रियों की क्षमता के साथ सुरक्षा पर जोर

आराम, सुरक्षा और हाई-स्पीड का अनोखा संगम

नई दिल्ली, 02 जनवरी. देश में यात्रियों को तेज़ और सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने के लिए नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन तैयार हो गई है. इसमें 16 कोच और 823 यात्रियों की क्षमता है. एर्गोनॉमिक बर्थ्स, स्वचालित दरवाजे, वेस्टिब्यूल्स, उत्कृष्ट सस्पेंशन और शोर कम करने वाली तकनीक इसे आरामदायक बनाती है. सुरक्षा के लिहाज से कवच सिस्टम, इमरजेंसी टॉक-बैक और उन्नत ड्राइवर केबिन कंट्रोल्स शामिल हैं. साथ ही डिसइंफेक्टेंट तकनीक उच्च स्वच्छता सुनिश्चित करती है. यह ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति तक चलने में सक्षम है. नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन यात्रियों के लिए आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ तैयार की गई है. कुल 16 कोचों में 11 तीन-तल वाली (3टी), 4 दो-तल वाली (2टी) और 1 प्रथम श्रेणी (1ऐसी) कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 823 यात्रियों की है. इस ट्रेन में आराम और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है. एर्गोनॉमिक बर्थ्स बेहतर कुशनिंग के साथ डिजाइन किए गए हैं, वहीं स्वचालित दरवाजे और वेस्टिब्यूल्स सुचारु आवागमन में मदद करेंगे.

> सुरक्षा के लिहाज से यह ट्रेन कवच सिस्टम, इमरजेंसी टॉक-बैक और उन्नत ड्राइवर केबिन कंट्रोल्स से लैस है. यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहे, इसके लिए डिजाइन में एयरोडायनामिक बाहरी लुक और ऑटोमेटिक बाहरी दरवाजे शामिल हैं. स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया है और ट्रेन में डिसइंफेक्टेंट तकनीक लागू की गई है. इससे यात्रियों को संक्रमण मुक्त और सुरक्षित यात्रा का भरोसा मिलता है. ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति तक चलने में सक्षम है, जिससे लंबी दूरी के सफर का समय कम होगा. आधुनिक तकनीक, सुरक्षा और आराम के संगम के साथ यह ट्रेन देश में यात्रियों के लिए एक नया अनुभव लेकर आएगी.

वस्त्र मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 8-9 जनवरी को गुवाहाटी में

नई दिल्ली, 02 जनवरी. राज्यों के वस्त्र मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आठ से नौ जनवरी तक असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जायेगा. यह जानकारी केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने गुरुवार को दी. मंत्रालय ने कहा है कि दो दिन के इस सम्मेलन में देशभर के राज्यों के वस्त्र विभाग के मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. इस सम्मेलन का उद्देश्य नीतिगत समन्वय, क्षेत्रीय विकास तथा भारत के वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा करना है. इस सम्मेलन के साथ ही वहां पूर्वोत्तर सम्मेलन (नॉर्थईस्ट कॉन्क्लेव) का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य फोकस पूर्वोत्तर क्षेत्र के वस्त्र क्षेत्र को सशक्त और मजबूत बनाना होगा.

सोने-चांदी के दामों में आई तेजी

1.34 लाख पार पहुंचा सोना

2.34 लाख तक पहुंची चांदी

नई दिल्ली, 02 जनवरी. सोने और चांदी के दामों में आज अचानक तेजी देखी गई है. 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 954 रुपए बढ़कर 1,34,415 और 1 किलो चांदी 5,656 बढ़कर 2,34,906 पर पहुंच गई.

तीन दिन की गिरावट के बाद यह तेजी निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है. डॉलर की कमजोरी, रूस-यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक मांग तेजी के प्रमुख कारण रहे. विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल सोने का भाव 1.50 लाख रुपए और चांदी 2.75 लाख तक जा सकता है. भारतीय घरों में सोने की कुल वैल्यू देश की तष्ठक्कसे भी अधिक हो गई है. सोने-चांदी के दामों में तीन दिन की गिरावट के बाद 2 जनवरी को तेजी देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 954 रुपए बढ़कर 1,34,415 और 1 किलो चांदी 5,656 बढ़कर 2,34,906 पर पहुंच गया.

सोने में तेजी का कारण डॉलर का कमजोर होना

1,38,161 और चांदी 2,43,483 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था. सोने में तेजी के पीछे डॉलर कमजोर होना, वैश्विक जियोपॉलिटिकल तनाव और चीन जैसे देशों की लगातार खरीदारी मुख्य कारण हैं. वहीं चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड, अमेरिकी टैरिफ के डर और मैन्युफैक्चरर्स की होड़ ने दाम बढ़ाए हैं. केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार, चांदी की मांग में तेजी आगे भी बनी रहेगी और यह 2.75 लाख तक जा सकती है. सोने का भाव भी साल के अंत तक ?1.50 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच सकता है. सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क वाला सर्टिफाइड गोल्ड और सही कीमत का क्रॉस-चेक करना जरूरी है.

विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 38 महीने के निचले स्तर पर

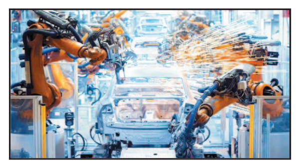

मुंबई, 02 जनवरी. नये ऑर्डरों में सुस्ती से विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि दर माह-दर-माह आधार पर दिसंबर में घटकर 38 महीने के निचले स्तर पर आ गयी.

एसएंडपी ग्लोबल द्वारा शुक्रवार को जारी एचएसबीसी भारतीय विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक रिपोर्ट में यह बात कही गयी है. भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का पीएमआई दिसंबर में घटकर 55 रह गया. यह दो साल से ज्यादा समय में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में सबसे सुस्त वृद्धि को दर्शाता है. नवंबर में पीएमआई 56.6 रहा था. पीएमआई का 50 से ऊपर रहना गतिविधियों में वृद्धि को और इससे कम रहना गिरावट को दर्शाता है. इसका 50 का स्तर स्थिरता का द्योतक है. एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में इकोनॉमिक्स एसोसिएट डायरेक्टर पॉलियाना डी लीमा ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, वृद्धि की रफ्तार कम पड़ने के बावजूद भारतीय विनिर्माण उद्योग का प्रदर्शन 2025 में अच्छा रहा. हम वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में नये कारोबार में तेज वृद्धि के कारण कंपनियों के व्यस्त रहने की उम्मीद है.

मार्च के अंत से तीन साल में एक बार होगा निदेशकों का केवाईसी

नई दिल्ली, 02 जनवरी. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों के निदेशकों को एक बड़ी राहत देते हुए वार्षिक केवाईसी (पहचानों अपने ग्राहक को) की जगह तीन वर्ष में एक बार संक्षिप्त केवाईसी की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है.

मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक के अनुसार नयी व्यवस्था 31 मार्च 2026 से लागू होगी. इस मामले में परामर्श और चर्चा का यह निर्णय गैर-वित्तीय विनियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. कंपनियों (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क में किये गये संशोधन को बुधवार 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया. संशोधित सरल केवाईसी फॉर्म का उपयोग केवाईसी की शर्तों के अनुपालन के साथ-साथ निदेशकों के मोबाइल नंबर, ईमेल पता, आवासीय पता अपडेट करने और निदेशक पहचान संख्या (डिन) को पुन: सक्रिय करने के लिए किया जा सकेगा.

चावल, चीनी, दालों में तेजी गेहूं, खाद्य तेलों के भाव टूटे

[नई दिल्ली, 02 जनवरी. घरेलू] थोक जिंस बाजारों में शुक्रवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये. चावल के साथ चीनी और दालों में भी तेजी रही, जबकि गेहूं और खाद्य तेलों में गिरावट का रुख रहा. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत पांच रुपये बढ़कर 3,823 रुपये प्रति क्विंटल हो गयी. गेहूं तीन रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ और 2,853 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बोला गया. आटा छह रुपये महंगा हुआ. दालों में सबसे ज्यादा तेजी तुअर दाल में रही. तुअर दाल औसतन 107 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई. मसूर दाल 99 रु और मूंग दाल 68 रु प्रति क्विंटल.

शेयर बाजारों में तेजी सेंसेक्स 573 अंक उछला

मुंबई, 02 जनवरी. विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को तेजी रही और बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 573.41 अंक (0.67 प्रतिशत) की बढ़त में 85,762.01 अंक पर बंद हुआ. बाजार में आज शुरू से ही तेजी रही.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 182 अंक यानी 0.70 प्रतिशत ऊपर 26,328.55 अंक पर पहुंच गया. चौतरफा लिवाली के बीच 01 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट-बीड़ी तथा अन्य तंबाकू उत्पादों पर उपकर और कर बढ़ाने की अधिसूचना के बाद एफएमसीजी कंपनी आईटीसी के शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही. इसका शेयर आज पौने चार प्रतिशत टूट गया. मझौली और छोटी कंपनियों के सूचकांक भी बढ़त में रहे. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.94 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.72 प्रतिशत चढ़ा. एफएमसीजी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों में तेजी रही. रियलिटी, धातु, ऑटो, वित्त, बैंकिंग और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों की कंपनियों में लिवाली ज्यादा रही. एनटीपीसी का शेयर चार प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा. ट्रेंट में ढाई फीसदी से अधिक की तेजी रही. बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड, मारुति सुजुकी, भारतीय स्टेट बैंक, बीईएल, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनीलिवर और एचडीएफसी बैंक के शेयर एक से दो प्रतिशत की बीच चढ़े. इंफोसिस, टीसीएस, एशियन पेंट्स, सनफार्मा, एलएंडटी, टाटा स्टील और अडानी पोर्ट्स के शेयर भी हरे निशान में बंद हुए.

IDBI BANK — क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001, फोन: 0731-6679152, 99607 14961, 98260 81279

नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि,

अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्न निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का नियम 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता **श्री बलवेन्दर सिंह (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) एवं श्री जसविन्दर सिंह (जमानतदार)** को **दिनांक 28.08.2025** को एक मांग नोटिस जारी किया एवं नोटिस में वर्णित **राशि रुपये 1,90,339.85 (रु. एक लाख नब्बे हजार तीन सो उनतालीस एवं पचासी पैसे मात्र)** एवं दिनांक 10.03.2025 से उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्च बैंक की नीति के अनुसार नोटिस दिनांक से 60 दिन की समयावधि में भुगतान करने हेतु नोटिस दिया था। चूंकि उक्त उधारकर्ता एवं बंधककर्ता उल्लेखित राशि अदा करने में असफल रहे है, अत: उधारकर्ता एवं बंधककर्ता को विशेष रुप से एवं जनता को सामान्य रुप से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13 की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों के प्रत्यायोजन स्वरुप नीचे उल्लेखित संपत्ति पर **दिनांक 29 दिसम्बर, 2025** को कब्जा (सांकेतिक) ले लिया है।

उधारकर्ता एवं बंधककर्ता को विशेष रुप से एवं आम जनता को सामान्य रुप से एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि अब इस संपत्ति पर कोई व्यवहार नहीं करें तथा इस संपत्ति पर किया गया कोई भी व्यवहार **राशि रुपये 1,90,339.85 (रु. एक लाख नब्बे हजार तीन सो उनतालीस एवं पचासी पैसे मात्र)** की राशि तथा उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चें बाबत् **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता एवं बंधककर्ता को एक्ट की धारा 13 की उपधरा 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति के सभी प्रमुख अंग फ्लेट नं. 202 वाली भूमि, प्लाट नं. 20, सर्व सम्पन्न नगर, ग्राम बिचोली हप्सी, इन्दौर (म.प्र.) 452016, **क्षेत्रफल: (सुपर बिल्ट-अप) 650 वर्गफीट, चर्तु:सीमा: उत्तर:** फ्लेट नं. 201, नाला, **दक्षिण:** बेक लेन, **पूर्व:** प्लाट नं. 19, **पश्चिम:** फ्लेट नं. 203, जिस पर मौजूद और भविष्य में बनने वाली सभी ढांचों एवं निर्माणों के साथ।

स्थान : इन्दौर
दिनांक: 03.01.2026

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड — Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
देवास शाखा : प्लॉट नंबर 01, विमला टावर, दूसरी मंज़िल, राम नगर, ए.बी. रोड, देवास - 455001 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ / प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ) / प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ) / प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02100001007 / देवास शाखा) किरण गवली (ऋणी) विजय गवली एवं पवन गवली (सह-ऋणी) प्रहलाद गवली (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 1280 3 मिन 1 पटवारी हल्का नंबर 14 वार्ड नंबर 28 दुपाड़ा पुलिस लाइन रोड राजराजेश्वरी किराना के पास शाजापुर, मध्य प्रदेश - 465001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- विक्रेता की भूमि, पश्चिम- सुरेंद्रसिंह का मकान, उत्तर- विक्रेता की भूमि, दक्षिण- 30 फीट चौड़ा लोकल रास्ता	08-05-2024 एवं ₹ 7,93,641/-	01-01-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 03-01-2026

प्राधिकृत अधिकारी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

IDBI BANK — **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**, क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001, फोन: 0731-6679152, 99607 14961, 98260 81279 — **ई-नीलामी विक्रय सूचना**

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना
परिशिष्ट-IV-क (नियम 9(1) के परन्तुक देखें)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के अन्तर्गत चिल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणत: एवं निम्न वर्णित संपत्ति के ऋणीयों / जमानतदारों / बंधककर्ताओं को विशेषत: सूचीत किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्ति आईडीबीआई बैंक **(सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के **प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** ले लिया गया है। निम्न वर्णित संपत्ति का विक्रय निम्न वर्णित दिनांक को आईडीबीआई बैंक (सुरक्षित लेनदार) के बकाया राशि वसूली करने हेतु **जहां है जैसा है, जो है जैसा है, जो कुछ भी है** के आधार पर **दिनांक 20.01.2026** को विक्रय किया जा रहा है। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि (ईएमडी) का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं.	ऋणी / जमानतदार / बंधककर्ता का नाम	1) मांग सूचना दिनांक 2) कब्जा दिनांक 3) मांग सूचना अनुसार बकाया राशि	1) आरक्षित मूल्य 2) धरोहर राशि (EMD) 3) बिड वृद्धि राशि	अचल संपत्ति का विवरण (इन्दौर (म.प्र.) स्थित अचल संपत्ति का प्रत्येक भाग एवं समूह जो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास बंधक है)
	क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001. EMD Submission A/c Details : IDBI BANK LIMITED No : 00134915010026, IFSC Code : IBKL0000001. DD Should be drawn in favour of IDBI Bank Ltd., A/c No.: 00134915010026 payable at Ratlam Kothi issued by any Nationalised Bank/ Scheduled Bank as (EMD)			
1.	1. श्री दीपक चोपड़ा (ऋणी एवं बंधककर्ता), 2. श्रीमती सुनीता चोपड़ा (सह-ऋणी), 3. श्री नासीर खान (जमानतदार)	1) 16.03.2023 2) 13.02.2025 3) 16,23,679.95/- 10.12.2022 के अनुसार + उसके बाद लागू होने योग्य ब्याज खर्चें एवं चार्जेस	1) ₹ 22,50,000/- 2) ₹ 2,25,000/- 3) ₹ 10,000/-	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग फ्लेट नं. 27, सातवीं मंजिल, कांता अपार्टमेंट प्लाट नं. 09 (ब्लॉक नं. 55-56), गली नं. 03, मनोरमागंज, इन्दौर, मध्यप्रदेश, **क्षेत्रफल: 750 वर्गफीट, चर्तु:सीमा: उत्तर:** दीपशिखा अपार्टमेंट, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 26, **पूर्व:** खुल जगह, **पश्चिम:** फ्लेट नं. 28

महत्वपूर्ण तिथियाँ

धरोहर राशि/ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि	: 19.01.2026 दोपहर 2 बजे तक
निरीक्षण की दिनांक एवं समय	: 08.01.2026 से 09.01.2026 समय प्रात: 11 बजे से सायं 4 बजे तक
बिड वृद्धि राशि	: रु. 10,000/- से
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय	: 20.01.2026 प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रत्येक 5 मिनिट के असीमित विस्तार के साथ (यदि आवश्यक हो)

ब्रिकी की विस्तृत नियमों व शर्तों के लिए, कृपया **https:/www.bankeauctionwizard.com** एवं आईडीबीआई की वेबसाईट यानि **https://www.idbi.bank.in** पर दिये गए लिंक को देखें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक पार्टियां प्राधिकृत अधिकारी, **क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001, फोन: 0731-6679152, 99607 14961, 98260 81279** से संपर्क कर सकती है।

सरफेसी अधिनियम 2022 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की सूचना

ऋणीयों / जमानतदारों को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पहले ब्याज सहित उपरोक्त वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष राशि यदि कोई ब्याज सहित उनसे वसूल की जाएगी। ऊपर उल्लेखित नियमों और शर्तों के अनुसार ऋणियों / जमानतदारों संभावित खरीदार को ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी ला सकते है।

स्थान: इंदौर, दिनांक: 03.01.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India — क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर — **ई-नीलामी की सूचना**

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभावित है, का सांकेतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है** के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक **05.02.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

क्रं.	ऋणी, जमानतदार एवं शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग पत्र दिनांक / बकाया राशि (₹)	आरक्षित मूल्य (₹) / धरोहर राशि (₹) / बिड वृद्धि राशि (₹)
1.	मेसर्स बॉयोपैक कॉर्पोरेशन, प्रो.: कुनाल डिन्डोरकर पिता विनोद डिन्डोरकर, शाखा: संयोगितागंज, इन्दौर मोबाईल: 83700 12062	प्लाट नं. 85, बीआरजी इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम मालिखेड़ी, तहसील एवं जिला इन्दौर, **मालिक: श्री कुनाल डिन्डोरकर पिता विनोद डिन्डोरकर, क्षेत्रफल: 8699 वर्गफीट, चर्तु:सीमा: पूर्व:** प्लाट नं. 94, **पश्चिम:** सड़क, **उत्तर:** प्लाट नं. 86, **दक्षिण:** प्लाट नं. 84 (सांकेतिक कब्जा)	06.06.2022 / 2,90,86,700.52/- + ब्याज एवं अन्य खर्च - उसके बाद की गई रिकवरी	87,68,000 / 8,77,000 / 1,00,000
2.	मेसर्स सचिन इंटरप्राईजेस, प्रो.: सचिन कुमार शर्मा पिता विष्णु शर्मा शाखा: जानकी नगर, इन्दौर मोबाईल: 83700 12029	व्यवसायिक दुकान 201, दूसरी मंजिल, अशोका हेरिटेज, प्लाट नं. 15, कानुन्गो बाखल, गोपाल मंदिर के पास, राजवाड़ा, इन्दौर, **मालिक: श्री सचिन कुमार शर्मा पिता विष्णु शर्मा, क्षेत्रफल: 907.70 वर्गफीट, चर्तु:सीमा: पूर्व:** फ्लेट नं. 204, **पश्चिम:** बद्रीलाल राधाकृष्ण जी का मकान एवं उपयोगी रास्ता एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की खुली भूमि, **उत्तर:** मुतबक खाना, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 202 (सांकेतिक कब्जा)	01.12.2023 / 1,64,17,117.00/- + ब्याज एवं अन्य खर्च - उसके बाद की गई रिकवरी	55,00,000 / 5,50,000 / 50,000
3.	मेसर्स लड्डु जी ग्रह उद्योग, प्रो. श्री जुगल किशोर अरोडा, मेसर्स फूडीज ग्लोबल इंडस्ट्रीज, प्रो. श्रीमती प्रिति अरोडा शाखा: नागदा, मोबाईल: 83700 12049	पटवारी हल्का नं. 29, सर्वे नं. 515/मिन-2, ग्राम बोरखेड़ा पित्रमल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, **मालिक: श्रीमती प्रिति अरोडा पिता जुगल किशोर अरोडा, क्षेत्रफल: 2090.90 वर्गमीटर, चर्तु:सीमा: पूर्व:** सड़क, **पश्चिम:** प्रिति अरोडा की भूमि, **उत्तर:** प्रिति अरोडा की भूमि, **दक्षिण:** प्रिति अरोडा की भूमि (सांकेतिक कब्जा)	22.07.2025 / 31,52,346.64/- + ब्याज एवं अन्य खर्च - उसके बाद की गई रिकवरी	21,36,000 / 2,14,000 / 50,000

(ऑनलाईन) ई-नीलामी दिनांक: 05.02.2026, समय: प्रात: 10 से सायं 6 बजे तक
दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 05.02.2026 एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय : 05.02.2026, सायं 5.30 बजे तक,
ईएमडी को छोड़कर शेष बोली की राशि जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण: अकाउंट नं. : 3283786076,
खाते का नाम: प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, IFSC CODE: CBIN0280765

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी **www.centralbank.co.in** और सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें। **क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर 95222 73419** से संपर्क कर सकते है।

सिक्यूरीटाईजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

सफल बोलीकर्ता को 15% राशि का भुगतान 24 घंटे के भीतर करना होगा।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 03.01.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**